न्यायालय–श्रीमती सोनल पटेल, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देपालपुर जिला–इंदौर (म.प्र.)

आप0प्रकरण क0–01/18
संस्थित दिनांक 02/01/18

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र,
देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)

–अभियोजन

(विरूद्ध)

कैलाश उर्फ कैला पिता बाबूलाल, आयु– 29 वर्ष,
निवासी– धार नाका देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)

– आरोपी

———————————————————————————

अंतर्गत धारा 294 भारतीय दण्ड संहिता।

———————————————————————————

शासन द्वारा – ए0डी0पी0ओ0।
आरोपी द्वारा – श्री पवन जोशी अधिवक्ता।

———————————————————————————

(निर्णय)

(आज दिनांक 03/07/2018 को घोषित किया गया)

01– आरोपी पर दिनांक 21/12/17 को करीब 20.30 बजे फरियादी का घर धार नाका देपालपुर जो कि लोकस्थान या उसके समीप का स्थान हैं, पर फरियादी हंजाबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया करने के लिये भा0दं0सं0 की धारा 294 के अधीन आरोप हैं।

02– अभियोजन के अनुसार फरियादी के पति शांत हो गये है, उसके पास 4 बीघा जमीन हैं, उसके तीन लडके रमेश, कैलाश व लाखन हैं, उसका बीच का लडका कैलाश रात को 08.30 बजे बाहर से आया और बोला कि उसे आज ही जमीन का हिस्सा चाहिये, फरियादी ने बोला कि आखातीज पर हिस्सा दे दूंगी, तो उसका लडका कैलाश फरियादी को मां–बहन की नंगी–नंगी गालियां देने लगा, उसने उसे गालियां देने से मना किया तो उसने फरियादी को लकडी से मारा, जिससे बांये हाथ की कलाई पर चोट लगी, तभी उसका बडा लडका रमेश आ गया, जिसने बोला कि मां को क्यों मार रहा है तो उसको भी कैलाश ने मां–बहन की नंगी–नंगी गालियां दीं व उसे

भी मारने दौडा, और बोला कि जमीन का हिस्सा नहीं दिया तो सब लोगों को जान से खत्म कर दूंगा। पुलिस ने अपराध क्रमांक 351/17 अन्तर्गत धारा 294, 325, 352, 506 भा0दं0सं0 के अधीन आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा अनुसंधान पूर्ण कर, आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

03— प्रकरण में दिनांक 21/06/18 को आहत हंजाबाई एवं आरोपी द्वारा राजीनामा आवेदन पेश किया गया, जिस अनुसार आरोपी को धारा— 325, 352, 506 भाग—2 भा0दं0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा धारा— 294 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विचारण किया जाकर, निर्णय पारित किया जा रहा हैं।

04— आरोपी ने असत्य तरीके से अपराध में आलिप्त किये जाने बाबत प्रकटीकरण किया।

05— विचारणीय बिन्दु इस प्रकार हैं कि :—

क्या घटना दिनांक को आरोपी ने आहत हंजाबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?

(सकारण—निष्कर्ष)

06— उक्त विचारणीय बिंदूओं के संबंध में आहत हंजाबाई अ0सा0—1 ने आरोपी को पहचानते हुए कथन किया कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी कैलाश उसका सगा लडका है, पिछले साल 12 माह की घ ाटना है, उसका लडका कैलाश शराब पीकर उसके हाथ में लकडी से ईटा उठाकर मार दिया था, जिससे उसे कलाई में चोट आयी थी और हड्डी टूट गई थी, जिस बात की रिपोर्ट उसने थाना देपालपुर में की थी, पुलिस ने उसके बताये अनुसार प्रपी. 1 की रिपोर्ट लिखी थी, जिस पर उसका अंगूठा निशानी हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 और प्रदर्श पी—2 के कथन में आरोपी द्वारा उसे आरोपी ने मां—बहन की गालियां दिये जाने की बात लिखाई थी।

07— अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट नहीं होता है कि आरोपी ने आहत हंजाबाई को घटना दिनांक को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया था। ऐसी स्थिति में आरोपी को भा0दं0सं0 की धारा 294 के अपराध में दण्डित नहीं किया जा सकता हैं।

08— अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह

से परे यह प्रमाणित नहीं होता हैं कि घटना दिनांक को आरोपी ने आहत को मां–बहन की अश्लील गालिया देकर क्षोभ कारित किया था। फलतः आरोपी के विरूद्ध धारा 294 भा0दं0सं0 के अधीन अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाने के कारण यह न्यायालय आरोपी को दोषमुक्त ठहराता हैं।

09– आरोपी के जमानत एवं मुचलके (अंतर्गत धारा 437–क दं.प्र. सं. को छोडकर) निरस्त किये जाते हैं।

10– प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस का डंडा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे एवं अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का अनुकरण किया जावे।

दिनाक– 03/07/18
स्थान– देपालपुर

(श्रीमती सोनल पटेल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देपालपुर जिला– इंदौर म0प्र0